



JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)

An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

आज के समय में महाविद्यालय संचालन करने में आने वाली समस्या और उसके फायदे एवं उपयोग

सार :- उच्च शिक्षा यानि सामान्य रूप से दी जानेवाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष विषय तथा सूक्ष्म शिक्षा है। यह शिक्षा के उस स्तर का नाम है जो विश्वविद्यालय व्यावसायिक विश्वविद्यालयों कम्प्युनिटी महाविद्यालयों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। प्रस्तुत शोध पत्र महाविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। प्रस्तुत शोध पत्र में आज के समय में महाविद्यालयों को संचालन करने में आने वाली समस्याओं और महाविद्यालयों के फायदे एवं उपयोग पर प्रकाश डाला गया है। ताकि महाविद्यालय के संचालन में आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके व इसके फायदे और उपयोग के बारे में आमजनो को जानकारी हो सके।

प्रस्तावना :- आदिम समाज में शिक्षा की प्रक्रिया सरल और सतत् थी। उसका उद्देश्य केवल चरित्र प्रवृत्ति, कौशल और नैतिक गुणों का व्यक्ति में विकास करना था। बौद्धिक एवं वैदिक पौराणिक युगों में भारतीय समाज का अधिकांश भाग अशिक्षित रहा, क्योंकि स्वयं हिन्दू समाज में स्त्रियों एवं शूद्रों को महाविद्यालय शिक्षा क्या उन्हें स्कूली शिक्षा तक प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। प्राचीन वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर विभक्त थी। कालान्तर में यह जातीय व्यवस्था रूढ़िगत होती गई एवं कर्म को द्वितीयक श्रेणी मानते हुए परम्पराओं को प्राथमिक मान लिया गया। भारतवर्ष जैसे विशाल देश में यदि हमें रूढ़िवादी विचारधारा एवं अंधविश्वास से मुक्ति प्राप्त करना है तो महाविद्यालय शिक्षा के माध्यम से समाज की रूढ़िवादी विचारधारा एवं अंधविश्वास से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। महाविद्यालय की शिक्षा से न केवल रूढ़िवादी विचारधारा एवं अंधविश्वास से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, बल्कि महाविद्यालय की शिक्षा भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते बनाती है। सही अर्थों में वर्तमान में प्रचलित शिक्षा एक आभूषण बन गई है और यह आभूषण भी ज्यादातर असली न होकर नकली हो गया है। इसके साथ ही वह एक सजा भी बन गई है जिसे जीवन भर भुगतना है। वैसे तो महाविद्यालय शिक्षा ज्ञान का पर्याय है – वह हमें असत्य से सत्य की ओर

मृत्यु से जीवन की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। अथवा वह सत्य, शिवम्, सुन्दरम् का प्रतिरूप होती है। वह सत्य का अन्वेषण कराती है, हमें सत्य से परिचित कराती है— वह हममें तर्कशक्ति का विकास कराती है और हमें सिखाती है कि कोई बात या तो असत्य हो सकती है, अर्धसत्य हो सकती है अथवा सत्य हो सकती है। हमें सत्य के इन तीनों रूपों से ही परिचित होना चाहिए। यदि कोई बात असत्य है तो सत्य का सामना होते ही वह समाप्त हो जायेगी, यदि अर्धसत्य है तो भी हमें उसके माध्यम से अर्धसत्य प्राप्त होगा और हम पूर्ण सत्य की ओर अग्रसर होंगे और यदि सत्य होगी तो हम उसका साक्षात्कार कर सकेंगे। महाविद्यालय शिक्षा हमें नया व्यक्तित्व देती है हम स्वयं में निहित सामार्थ्य से परिचित होते हैं। जीवन और जगत के प्रति अधिक जानकार हो जाते हैं, हमारा दृष्टिकोण का दायरा विकसित हो जाता है। शिक्षिका व्यक्ति सतह पर नहीं रहता वह गहराई में उतरने की क्षमता रखता है। और जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें रत्न मिलते हैं। जब शिक्षा की बात आती है तो उससे तीन घटक जुड़ जाते हैं। छात्र, पालक और शिक्षक। एक चौथा घटक भी होता है। यदि शिक्षण संस्था शासकीय है तो शासन और निजी है तो प्रबंधक। किसी समय में शिक्षा

के क्षेत्र में शासकीय भूमिका ही अधिक महत्वपूर्ण होती थी किन्तु वर्तमान में यह प्रवृत्ति है कि उसका भी तेजी से निजीकरण हो रहा है इसी के साथ-साथ शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा निरंतर महंगी होती जा रही है। फीस, पुस्तकें ड्रेस, परीक्षा शिक्षण सामग्री आदि सभी व्यय साध्य हैं। एक ओर शिक्षा की व्यावहारिक उपयोगिता का अवमूल्यन होता जा रहा है तो दूसरी ओर उसकी अनिवार्यता भी बढ़ती जा रही है। एक दअजीब सा विरोधाभास निर्मित हो रहा है। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा व्यय के नये प्रतिमान छु रही है। एक साधारण स्तर के पालक के लिए वह आकाश कुसुन बन रही है। वर्तमान प्रतियोगी वातावरण में इससे कठिन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। अन्य स्तरों पर भी शिक्षा का स्तर भले ही गिर रहा हो किन्तु उसका

शिक्षण शुल्क निरंतर वृद्धि पर है। छात्र और पालक के स्तर पर शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण पर दृष्टिपात किया जाये तो ज्ञात होगा कि दोनों स्तरों पर सुविधारित अथवा सुनियोजित दृष्टि का सर्वथा अभाव परिलक्षित होता है। जहाँ तक छात्र का प्रश्न है— वह इस संबंध में विचार शून्य है, उसे सामान्यतः यह पता नहीं होता कि वह शिक्षा के अंतर्गत किस दिशा में जाना चाहता है। कभी कभी तो वह अपनी मित्र मंडली के आधार पर ही अपना निर्णय कर लेता है। जहाँ तक पालक का प्रश्न है ये भी अपने लक्ष्य में स्पष्ट नहीं होते। उनके सामने अत्यंत सीमित प्रचलित विकल्प होते हैं— एक तो वे इस संबंध में कोई चिंतन नहीं करते और यदि करते भी हैं तो उनका क्षितिज विस्तृत नहीं होता। शालेय स्तर पर छात्रों की कक्षाओं में अनियमित उपस्थिति, अध्यापन के दौरान सजगता का अभाव, पुनरावृत्ति और गृहकार्य के प्रति उदासीनता, टेस्ट और परीक्षा के प्रति समुचित गभीरता का अभाव आदि लक्षण दिखलाई देते हैं। पालकगण एक बार छात्र को शाला में प्रवेश

दिलाकर निश्चित हो जाते हैं। वे अपनी व्यस्तता के मध्य उसकी पढ़ाई के संबंध में अपेक्षित जागरूकता नहीं रखते।

शिक्षकीय स्तर पर यद्यपि शिक्षण कार्य अत्यंत पवित्र एवं उच्च उत्तरदायित्व का कार्य है तथापि इस क्षेत्र में आने वाले, अन्य प्रतियोगी पदों पर असफलता मिलने पर ही अंतिम विकल्प के रूप में इसे अपनाते प्रतीत होते हैं। शिक्षक-छात्र के अनुपात की असमानता के फलस्वरूप या तो वे छात्रों पर व्यक्तिगत नियंत्रण में असमर्थ हो जाते हैं अथवा उसकी ओर दुर्लक्ष्य करने पर विवश हो जाते हैं। छात्रों के अध्यापन के संदर्भ में पाठ्यक्रम की पूर्णता ही उनका प्रमुख ध्येय बन जाता है और शिक्षण के अतिरिक्त उसके सर्वांगीण विकास की परिकल्पना विस्मृत हो जाती है। एक और तथ्य जो इन सब पर हावी हो जाता है वह है भविष्य की अनिश्चितता। वर्तमान स्थिति में पढ़ाई लिखाई के बाद भी किसी सार्थक सम्बद्धता का कोई अवसर उपलब्ध न होने का कटु सत्य उनका पीछा करता है। हम यह नहीं समझ पाते कि शिक्षा केवल नौकरी का पासपोर्ट नहीं है। यह सही है कि एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् अनेक अपेक्षाएं रखता है किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में नौकरियों का अभाव और नियुक्तियों की न्यूनता के मध्य नये नये क्षेत्रों में प्रयोगों की चुनौती सदैव उपस्थित रहती है। शिक्षा जीवन को समृद्ध बनाती है। एक शिक्षित व्यक्ति- अशिक्षित की अपेक्षा अधिक सार्थक जीवन जीता है। वह चाहे जिस क्षेत्र में हो उसकी शिक्षा उसे अधिक अर्थपूर्ण और सजग बनाती है। पर आज की शिक्षा उसे मायूस बना रही है। जीवन यापन का मार्ग नहीं खोलती दिखाई दे रही है।

इस विवेचन से शिक्षा के संबंध में निम्न तत्व उभरते हैं –

- शिक्षा एक संस्कार है।
- शिक्षा निरंतर और जीवन पर्यंत चलती है।
- शिक्षा जीवन और जगत् को उद्घाटित करती है।
- शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करती है।
- शिक्षा का चरित्र से निकट का संबंध होता है।
- शिक्षा का मूल उद्देश्य जीवनयापन नहीं, बेहतर जीवन है।

उच्च शिक्षा की आवश्यकता :- मानव सभ्यता एवं मानव विकास की प्राप्ति के लिए महाविद्यालय शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वतंत्रता के पश्चात् महाविद्यालय शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया। प्रशिक्षित अध्यापकों व महाविद्यालयों की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के संदर्भ में शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव किया गया। महाविद्यालय शिक्षा के महत्व व गुणवत्ता को बढ़ाने के संदर्भ में विभिन्न आयोगों द्वारा अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में निम्न सिफारिशों की गईं।

1. राधकृष्णन् आयोग की सिफारिशें –

- अध्यापन प्रशिक्षण कॉलेजों को पुनः प्रारूपित करना चाहिए।
- शिक्षण अभ्यास के लिए उचित स्कूलों का चयन करना चाहिए।
- प्रशिक्षण महाविद्यालयों में उन अध्यापकों को नियुक्त करना चाहिए, जो कि अध्यापन के कार्य का पर्याप्त अनुभव रखते हों।
- सैदांतिक पाठ्यक्रम को लचीला व व्यावहारिक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को स्वीकार करने वाला होना चाहिए।

2. माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें –

- अस्नातकों के लिए द्विवर्षीय व स्नातकों के लिए एकवर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए।
- आयोग ने पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पर बल दिया है।
- छात्राध्यापक एक या दो पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाओं में भी प्रशिक्षित किए जाने चाहिए।
- अध्यापकों का प्रशिक्षण केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं है। सम्बद्ध कॉलेजों में प्रशिक्षण विभागों की स्थापना होनी चाहिए।
- प्रशिक्षण कॉलेजों को अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए अनुसंधान कार्य करने चाहिए।
- अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों की योजना की आवश्यकता पर बल दिया गया।

3. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें –

- शिक्षाशास्त्र को एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय होना चाहिए और यह बी.ए. व एम.ए. में एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तावित होना चाहिए।
- प्रसार कार्य को प्रशिक्षण कॉलेजों का एक आवश्यक कार्य होना चाहिए।
- सभी प्रशिक्षण संस्थानों का महाविद्यालय स्तर पर उत्थान होना चाहिए। स्नातकों को सभी स्तरों के विद्यालयों के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए।
- हर प्रांत में योजना द्वारा शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा – राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की योजनाओं में अध्यापक शिक्षा को पर्याप्त उन्नत करने के लिए विभिन्न उपाए निहित हैं।

- अध्यापकों की चयन पद्धति में सुधार।
- शिकायतें दूर करने के लिए एक कारगर तन्त्र का सृजन।
- शिक्षा के आयोजन व प्रबंध में अध्यापकों को शामिल करना।

- औपचारिक स्कूल प्रणाली के लिए अध्यापकों की पूर्व सेवाकालीन शिक्षा।
- विद्यालय परिसरों व जिला शिक्षा बोर्डों को शैक्षिक सहयोग।
- अध्यापकों तथा प्रशिक्षकों के लिए संसाधन तथा शिक्षा केन्द्र की सेवाओं की व्यवस्था।
- जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को नवीनतम तकनीकी सुविधाएँ प्रदान करना।
- विश्वविद्यालयों से संबद्ध, अध्यापकों को शिक्षा देने वाले महाविद्यालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से कार्य करेंगे।

महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थी की विशेषताएँ –

- इस स्तर पर विद्यार्थी एक संक्रमण की स्थिति में होता है जिसमें वह किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ता है।
- व्यावसायिक एवं सामाजिक समायोजन के द्वारा विद्यार्थी अपने आप जीवन-यापन करने के लिए तैयार होता है।
- विद्यार्थी धीरे-धीरे कठिन एवं स्थिर क्षमताओं की ओर बढ़ता है तथा उसकी आदतें बन जाती हैं और कार्य करने का तरीका एवं व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है।
- विद्यार्थी अमूर्त ज्ञान, तार्किक ज्ञान, सिद्धांत निर्माण करने के योग्य हो जाता है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :-

- महाविद्यालय संचालन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
- महाविद्यालय शिक्षा के फायदे एवं उपयोगों का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना :-

- निजी एवं सरकारी महाविद्यालय के संचालन में शैक्षणिक सुविधाओं में कोई अंतर नहीं है।


शोध प्रविधि :- प्रस्तुत शोध पत्र में शोध उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक शोध प्ररचना का उपयोग किया गया है।

- **अध्ययन का क्षेत्र :-** प्रस्तुत शोध पत्र हेतु मध्यप्रदेश का चयन किया गया है।
- **अध्ययन का समग्र एवं इकाई :-** प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश के निजी एवं सरकारी महाविद्यालयों को समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया है।

- **निदर्शन विधि :-** प्रस्तुत शोध पत्र में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों का चयन करते हुए दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया।
- **तथ्यों का संकलन :-** प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण किया गया तथा उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किये गये।

परिकल्पनाओं का परीक्षण – आंकड़ों के स्पष्टीकरण के लिए मध्यमान, प्रमाणिक विचलन तथा टी-मूल्य की गणना की गई है जिसे अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

- **H₀₁ :-** निजी एवं सरकारी महाविद्यालय के संचालन में शैक्षणिक सुविधाओं में कोई अंतर नहीं है।



निजी एवं सरकारी महाविद्यालय के संचालन में शैक्षणिक सुविधाओं में कोई अंतर नहीं है।

सांख्यिकीय विश्लेषण

क्रमांक	समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	प्रमाणिक त्रुटि	मुक्तांश	टी-मूल्य
1.	निजी संस्थान	50	53.80	20.8	4.63	98	218 (0.05 स्तर पर अस्वीकृत)
2.	सरकारी संस्थान	50	54.80	24.9			

उपरोक्त तालिका में अंकित किए गये मानों से स्पष्ट हो रहा है कि मुक्तांश (df) 98 पर प्राप्त टी मान 0.218 है जो सार्थकता स्तर 0.05 के सारणी मान 1.98 से कम है अतः यह मान इस स्तर पर असार्थक हुआ जिससे स्पष्ट होता है कि निजी एवं सरकारी महाविद्यालय के संचालन में शैक्षणिक सुविधाओं में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार हमारी शून्य परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है।

निष्कर्ष :- वर्तमान में विश्व के सभी क्षेत्रों में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है शैक्षिक संस्थानों में भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान की जरूरतों को देखते हुए शैक्षिक संस्थानों महाविद्यालयों के संचालन करने के नियम, प्रबंध व्यवस्था आदि में परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया है। वर्तमान के परिवर्तनशील युग में महाविद्यालयों को सफलतापूर्वक संचालन करने में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय में शिक्षण के अतिरिक्त महाविद्यालय से संबंधित अन्य उत्तरदायित्वों का भी निर्वाह करना होता है जो कि महाविद्यालयों के सफलतापूर्ण संचालन करने में बाधा उत्पन्न करता है। सीखने-सीखाने की प्रक्रिया में परिवर्तन लाना, सभी को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उसे शिक्षकों द्वारा कैसे प्रदान किया जा सकता है, संबंधित प्रबंध नीति बनाकर कार्य करना, ताकि असमानताओं को दूर करने पर अधिक जोर दे सके व समावेशन को प्रोत्साहन दे सके, सभी के लिए न्यायोचित शिक्षा हो, विद्यार्थियों पर केन्द्रित जरूरतों पर आधारित शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रिया में प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिभागिता को अधिकाधिक करना आदि शामिल हैं। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए महाविद्यालय शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चूंकि महाविद्यालय की शिक्षा भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते बनाती है।

संदर्भ :-

- आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याएँ और समाधान – रवीन्द्र अग्निहोत्री एन.सी.टी.आर.
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (2005) नई दिल्ली।
- भारतीय आधुनिक शिक्षा (अप्रैल 2009)
- शर्मा, आर.ए. (2016), “ शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया” मेंट, आर. लाल बुक डिपो।
- गुप्ता, एस.पी. (2015), उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।
- अध्यापक शिक्षा— डॉ.एन.के.शर्मा, के.एस.के. पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
- भारत की आधुनिक शिक्षा का इतिहास और समस्याएँ— सरयू प्रसाद चौबे/अखिलेश चौबे, भवदीय प्रकाशन, आयोध्या, फैजाबाद, यू.पी.।
- Philosophical and Sociological Foundation of Education – N.R. Swroop Saxena.
- UGC and Higher Education System in India- Sharda Mishra
- NCTE Website – www.nrcnte.org